UPEW010054622022

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट सं.–01, इटावा।
उपस्थितः अखिलेश कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

JO Code: UP 6281
प्रकीर्ण वाद संख्या–95/2022

1. वीरेन्द्र सिंह (मृतक) वारिसान
1/1 श्रीमती सुनवेश देवी विधवा वीरेन्द्र सिंह,
1/2 जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व० वीरेन्द्र सिंह,
निवासीगण ग्राम बहादुर लुहिया, पोस्ट बसरेहर, परगना व जिला इटावा।

बनाम

धर्मेन्द्र सिंह आदि

दिनाँक–17.03.2026

1. पुकारा। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। आवेदकगण द्वारा प्रार्थनापत्र 3 ग, जोकि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत देरी को माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 3 ग, अंतर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट के कथन इस प्रकार हैं कि उपरोक्त प्रकीर्णवाद में कायम आवेदक/अपीलाण्ट कम पढ़ा लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला कानून का नाजानकार व्यक्ति है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध एक महीने के अंदर अपील प्रस्तुत कर देना चाहिए। निर्णय दिनांक 29.10.2018 से पूर्व दिनांक 11.10.2018 से आवेदक की गंभीर रूप से तबीयत खराब हो जाने के कारण वह लगभग 18 माह तक जेरे इलाज रहा, इसी बीच मार्च 2020 से कोरोना महामारी बीमारी संपूर्ण विश्व में फैल गयी, जिसके कारण लगभग दो साल तक मुवक्किलों का न्यायालय में आना जाना भी बंद रहा। इसके अलावा आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निर्णय की जानकारी नहीं दी गयी। जनवरी 2022 में आवेदक की तबियत दोबारा खराब हो गयी और जब वह 31 अगस्त 2022 को ठीक हुआ तथा नये अधिवक्त सुरेश चन्द्र पाल से संपर्क किया, तब नए अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपील प्रस्तुत करने में काफी देर हो गयी है। अब उक्त अपील धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी। उपरोक्त प्रकीर्णवाद के लंबन के दौरान आवेदक वीरेन्द्र सिंह की दिनांक 03.08.2023 को मौत हो गई। मृतक ने अपनी मृत्यु के उपरांत कानूनी वारिसानों में अपनी विधवा तथा दो पुत्रों को छोड़ा है। जबकि मृतक का बड़ा पुत्र धर्मेन्द्र सिंह मुकदमा उपरोक्त में पहले से ही विपक्षी संख्या 1 के रूप में कायम है। लिहाजा उसे दुबारा पक्षकार बनाने की कोई

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.03.17 12:55:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवश्यकता नहीं है। इनके अलावा मृतक के अन्य कोई कानूनी वारिसान नहीं है। लिहाजा के मृतक के प्रस्तावित वारिसान आवेदक सं०–1/1 लगायत 1/2 विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकीर्णवाद/अपील को पेशरफ्त रखने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना की गयी कि प्रार्थी/अपीलकर्ता को धारा–5 लिमिटेशन एक्ट का लाभ प्रदान करते हुए अपील की सुनवाई की जावे। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

3. विपक्षी/प्रत्यर्थी सं०–2 के द्वारा आपत्ति का.सं. 31 ग प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थनापत्र में कोई आधार धारा 5 का फायदा पाने का नहीं है, जो आधार दिया गया है वह बिल्कुल फर्जी मनगढंत है। अपीलांट हरगिज कभी भी दिनांक 11.10.2018 से बीमार नहीं रहा है और किसी भी बीमारी का जिक्र अपने प्रार्थनापत्र में नहीं किया है न तो किसी डाक्टर का नाम अथवा कोई चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने वर्ष 2018 से 2020 जोकि लगभग दो वर्ष की अवधि है, में अपील क्यों नहीं प्रस्तुत की इस महत्वपूर्ण तथ्य को कहीं भी Explain नहीं किया है। अपीलांट का कंडक्ट हरगिज बोनफाइड नहीं है, वह मात्र आपत्तिकर्ता को हैरान व परेशान करने के लिए यह वाद बार–बार प्रस्तुत कर देता है। प्रार्थनापत्र अस्पष्ट, गलत व भ्रामक है तथा बदनीयती पर आधारित है, जो हर प्रकार से खण्डनीय है। अतः प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के प्रार्थनापत्र 3 ग को निरस्त करने की मांग की गयी है। आपत्ति शपथपत्र 33 ग से समर्थित है।

आवेदकगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थायें दाखिल की गयी है–

1. **AIR 1987 Supreme court 1353**
2. **Supreme court of India Mis no.665/2021 Suo moto writ petition no. 3/2020**

विपक्षीगण द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थायें दाखिल की गयी है–

1. **Sudhanshu Dhulia and Prasanna b. Varale, (2024 All. C.J. 1000 S.C.)**
2. **Brijesh kumar and oth. Vs State of Haryana and oths. (2014 All. C.J. 1058 S.C.)**
3. **Divisional director social forestry division and anoth. Vs Smt. Sarabati devi.(2019 All. C.J. 176)**
4. **Pathapati subba reddy and othr. Vs The Special deputy collector (2024 All. C.J. 1358 S.C.)**

मेरे द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का ससम्मान अवलोकन किया गया।

4. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत अपील दायर करने में हुए विलंब को माफ कर, अपील अंगीकृत किये जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत अपील दायर करने में विलंब किस आधार पर हुआ है, इसका उल्लेख प्रार्थनापत्र में किया है। मुख्य रूप से आवेदक/अपीलकर्ता के दिनांक 11.10.2018 से बीमार हो जाने तथा मार्च

2020 से संपूर्ण विश्व में कोविड–19 फैल जाने, जिस कारण न्यायालय में वादकारी की आवाजाही पर रोक लगने के कारण तथा जनवरी 2022 में दोबारा बीमार होने का कथन किया है। अपने कथन के समर्थन में 34ग फर्द सबूत से बीमारी के प्रपत्र दाखिल किये है। जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आवेदक बीमार रहा है।

6. विपक्षी की ओर से यह कहना कि अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब के संबंध में जो आधार दिये गये है, वह गलत व फर्जी है, लेकिन आवेदक द्वारा जो बीमारी प्रपत्र दाखिल किए है, उनका खंडन समर्थकारी साक्ष्य देकर विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है। इसलिये आवेदक द्वारा जो बीमारी प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है, उन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत सिविल अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 29.10.2018 जिसके तहत अपीलकर्ता का वाद एकपक्षीय रूप से निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अपील धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत दायर की गयी है। प्रस्तुत सिविल अपील दिनांक 07.09.2022 को दायर की गयी है। मुंसरिम आख्या के अनुसार 1404 दिवस का विलंब होना बताया गया है। विलंब के संबंध में आवेदकगण द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है तथा बीमारी प्रपत्र दाखिल किये गये है, से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय पारित किये जाने के पूर्व से बीमार रहा है। तत्पश्चात् विश्वव्यापी कोविड–19 के संक्रमण के कारण न्यायालय में वादकारियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Supreme court of India Mis no.665/2021 Suo moto writ petition no. 3/2020** में अवधारित किया है कि दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की समयावधि को किसी अपील, निगरानी व अन्य कार्यवाही में समयावधि की गणना में उक्त अवधि गणना में नहीं ली जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त अवधि को गणना से अलग रखा गया है। विपक्षी की ओर से जो व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी है, में यह धारित किया गया है कि धारा 5 में वर्णित पर्याप्त कारण का निर्वचन उदार दृष्टिकोण रखते हुए किया जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उसका लाभ नहीं दिया जा सकता, जो लापरवाह व असद्भावी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह धारित किया है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर विचार करते समय न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। किसी व्यक्ति को न्याय से मात्र तकनीकीपन के आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदकगण द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम में समयावधि के अंदर अपील प्रस्तुत न किये जाने का जो आधार लिया है और उसके समर्थन में मेडिकल प्रपत्र व माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था दाखिल की है, से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा विलंब का पर्याप्त कारण दर्शित किया है, के आधार पर मैं अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का उचित आधार पाता हूँ। जहां तक विलंब का प्रश्न है, उसकी पूर्ति विपक्षी को हर्जा दिलाकर की जा सकती है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण का प्रार्थनापत्र 3ग, धारा 5 परिसीमा अधिनियम 2000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है, स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र 3ग अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम, मुबलिग 2000/–रुपये (दो हजार रुपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार सिविल अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। आवेदकगण को

निर्देशित किया जाता है कि हर्जे की धनराशि विपक्षी को अंदर सप्ताह देना सुनिश्चित करें।

पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि सिविल अपील के अंगीकरण हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा के समक्ष दिनांक–24.04.2026 को उपस्थित हों।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह संपूर्ण पत्रावली अंगीकरण पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में अविलम्ब प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनाँक–17.03.2026

(अखिलेश कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, इटावा।
J.O. Code: UP 6281